सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 आषाढ़ 19, गुरुवार, शाके 1947–जुलाई 10, 2025 अंक 15
Vol. 77 Asadha 19 , Thursday, Saka 1947–July 10, 2025 No. 15

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित विभाग के आदेश संख्या एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर. 187 दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता तुलसीराम लील/(नया नाम) जो अभी इससे पूर्व तुलसीराम धोबी (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो तुलसीराम धोबी (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में राजस्थान पुलिस (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम तुलसीराम उपनाम धोबी (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम तुलसीराम तथा उपनाम लील ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतदद्वारा मेरे पूर्व उपनाम धोबी (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम लील द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतदपश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम तुलसीराम तथा उपनाम धोबी (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन नें तुलसीराम नाम के रूप में तथा लील उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम तुलसीराम लील उपनाम के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम तुलसीराम धोबी एवं नये नाम तुलसीराम लील का वर्णन किया है तथा दिनांक 10.06.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम तुलसीराम लील द्वारा जो पूर्व में तुलसीराम धोबी कहलाता था, हस्ताक्षर किये है।

साक्षी :–

1. राम गोपाल खोलिया, संस्थापन अधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
2. रमेश कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।

तुलसीदास
हस्ताक्षर
नया नाम : तुलसीदास लील
पुराना नाम : तुलसीदास धोबी

प्रतिहस्ताक्षर
देवेन्द्र कुमार बिश्नोई
10.06.2025
पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।

7866

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।